

अमेरिकन एक्सप्रेस® कॉर्पोरेट कार्ड

अमेरिकन एक्सप्रेस® कॉर्पोरेट कार्ड कार्ड सदस्य अनुबंध

कॉर्पोरेट कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने से पहले कृपया अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य अनुबंध को अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि कॉर्पोरेट कार्ड पर हस्ताक्षर करने और उसका उपयोग करने से आप यहां लिखी हर बात से सहमत होंगे। कॉर्पोरेट कार्ड का आपका उपयोग इस अनुबंध द्वारा शासित होगा।

- परिभाषाएँ:** जब आप इस अनुबंध को पढ़ते हैं तो “आप”, “आपका” या “कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य” शब्द का अर्थ आवेदक होता है जिसका नाम इसके पीछे की ओर दिखाई देता है और जिसका नाम कॉर्पोरेट कार्ड पर दिखाई देगा। शब्द “हम”, “हमारा”, “हमें” और “ईबीसी”, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग निगम को संदर्भित करता है। “कंपनी” शब्द का अर्थ वह प्रतिष्ठान है जिसके नाम से खाता खोला गया है और जिसका नाम आपके नाम के तहत कॉर्पोरेट कार्ड पर दिखाई देता है। कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य को जारी किये जाने वाले अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड (“कार्ड”) को “कॉर्पोरेट कार्ड” कहा जाता है।
जब हम “संस्थान” शब्द का उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी निगम, प्रतिष्ठान, व्यक्ति या कंपनी को संदर्भित करते हैं जो किसी भी सामान या सेवाओं के प्रावधान की कीमत के निपटान में कार्ड के उपयोग को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।
- कॉर्पोरेट कार्ड:** आपको जारी किया गया कॉर्पोरेट कार्ड कंपनी के नाम से खोले गए कॉर्पोरेट कार्ड खाते के संबंध में उपयोग के लिए है। कॉर्पोरेट कार्ड कंपनी के अनुरोध पर जारी किए जाते हैं और कंपनी के अनुरोध पर रद्द कर दिए जाएंगे या यदि कंपनी उनसे या कार्ड खाते से संबंधित सभी दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ या अनिच्छुक है। कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य और कंपनी इस अनुबंध की सभी शर्तों का पालन करेंगे।
- अनुबंध पर स्वीकृति देना:** हमारे पते पर आपके आवेदन की स्वीकृति पर, आप इस अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं। इस कॉर्पोरेट कार्ड की प्राप्ति के तुरंत

बाद आपको इसके पीछे की ओर हस्ताक्षर करना चाहिए। कार्ड के पीछे आपके हस्ताक्षर या कार्ड का उपयोग करने के लिए कार्ड के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों को आपकी स्वीकृति के रूप में माना जाएगा। आपको कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग वैध तिथि से पहले या कॉर्पोरेट कार्ड के सामने वाले हिस्से पर अंकित तिथि के बाद नहीं करना चाहिए।

4. **शुल्कों के लिए देयता – तत्काल भुगतान:** एक खाते से ली गई सभी राशियों को इस अनुबंध में “शुल्क” कहा जाएगा। शुल्कों में कॉर्पोरेट कार्ड के उपयोग से प्रभावित वस्तुओं या सेवाओं की खरीद शामिल होगी (भले ही आपने किसी शुल्क प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए हों), वार्षिक कॉर्पोरेट कार्ड शुल्क, देर से भुगतान का शुल्क या कोई अन्य शुल्क। कॉर्पोरेट कार्ड के अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी कॉर्पोरेट कार्डों पर लगाने वाले सभी शुल्कों के लिए कंपनी हमारे प्रति उत्तरदायी है। कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य कंपनी के साथ-साथ कॉर्पोरेट कार्ड खाते के अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसके नाम पर जारी किए गए कॉर्पोरेट कार्ड के संबंध में किए गए सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी है, हालांकि फिर भी हम कंपनी को शुल्कों का मासिक विवरण भेज सकते हैं। आपके मासिक विवरण की प्राप्ति के तुरंत बाद सभी शुल्क देय हैं। आपको अपने बिलिंग के पते में किसी भी बदलाव के बारे में हमें तुरंत सूचित करना चाहिए।

हमारे मासिक विवरण के प्राप्त न होने की स्थिति में, आप प्रभार लेने के 21 दिनों के भीतर या हमारे द्वारा अनुरोध किए जाने पर उससे पहले शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रभारों के मासिक विवरण की हमारी प्रति कंपनी के और उसमें बताए गए शुल्कों के लिए आपकी देयता का अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगी। इसके आगे आप स्पष्ट रूप से और बिना किसी शर्त सहमत हैं कि प्रभार या प्रभार पर्ची (आरओसी) के प्रत्येक रिकॉर्ड पर आपके हस्ताक्षर और/या पिन के माध्यम से एक प्रमाणीकरण आपके द्वारा उसमें बताए गए प्रभार की राशि का भुगतान करने के लिए आपके द्वारा बिना शर्त वचनबद्धता की राशि होगी।

आप सहमत हैं कि जब आप कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आप कार्ड पर दिखने वाले हस्ताक्षर के साथ आरओसी पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा करने में विफल होने पर प्रभारों के लिए उत्तरदायित्व से बचा नहीं जाएगा। किसी भी प्रतिष्ठान पर शुल्क लगाने पर, आपको प्रतिष्ठान से आरओसी और बिल की अपनी प्रति प्राप्त करनी होगी।

आप इस बात से भी सहमत हैं कि हमारे साथ आपके खाते से संबंधित किसी भी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म से निर्मित या किसी प्रतिष्ठान के पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल या आपसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डेटा से निर्मित, उस दस्तावेज की सामग्री को किसी भी उद्देश्य के लिए साबित करने के लिए स्वीकार्य होगी।

हम किसी भी प्रतिष्ठान में किसी विशेष लेनदेन पर शुल्क की राशि के अलावा, अपने विवेकाधिकार पर सेवा शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

5. **भुगतान:** आपको हमें भारतीय मुद्रा में भुगतान करना होगा, भारतीय रुपये में देय मनी ऑर्डर/ड्राफ्ट/चेक या एनएसीएच (डेबिट) के माध्यम से ऑटो भुगतान या नेट बैंकिंग खातों या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से ऑनलाइन। यदि हम किसी अन्य रूप में किए गए भुगतान को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो आपका भुगतान तब तक क्रेडिट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका भुगतान ऊपर बताए गए किसी एक रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता। हम आपके भुगतान को परिवर्तित करने में लगने वाला कोई भी शुल्क आपसे वसूल सकते हैं।

हम इस अनुबंध या कानून के तहत अपने किसी भी अधिकार को खोए बिना देर से भुगतान, आंशिक भुगतान, या किसी भी चेक या मनी ऑर्डर को पूर्ण भुगतान के रूप में या किसी विवाद के निपटारे के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। अगर हम इस तरह के भुगतान स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस अनुबंध को किसी भी तरह से बदलने के लिए सहमत हैं।

6. कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) का सुरक्षित संरक्षण

कार्ड सदस्य किसी भी रूप में पिन को लिखकर नहीं रखेगा ताकि किसी तीसरे पक्ष को पिन की जानकारी मिलने में आसानी हो या किसी के साथ पिन को साझा या प्रकट न करें, जैसे कि परिवार के सदस्य, दोस्त या रिश्तेदार या अमेरिकन एक्सप्रेस के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, अधिकारियों या व्यापारियों के साथ। अमेरिकन एक्सप्रेस आपसे आपका पिन कभी नहीं मांगेगा। इसके अतिरिक्त, आपको कहीं पर भी पिन को लिखकर नहीं रखना चाहिए और कार्ड और पिन को एक ही स्थान पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि बटुआ या पर्स। कृपया एटीएम या पीओएस मशीन में दर्ज करते समय अपने पिन को सुरक्षित रखें। कार्ड सदस्य कार्ड के सुरक्षित संरक्षण और पिन की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए हर समय सभी उचित उपाय करेगा, जिसमें यहां उल्लेखित उपाय भी शामिल हैं। यदि कार्ड सदस्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो वह उत्तरदायित्व का पात्र हो सकता/सकती है। कार्ड सदस्य की जानकारी के साथ या उसके बिना, किसी भी तीसरे पक्ष की कार्ड/कार्ड के विवरण तक पहुंच के कारण या किसी तीसरे पक्ष की जानकारी में आने वाले पिन या पिन को साझा करने के कारण, कार्ड और/या पिन के किसी भी अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत उपयोग के मामले में कार्ड सदस्य अमेरिकन एक्सप्रेस को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के ऐसे अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत उपयोग/दुरुपयोग से उत्पन्न या उससे जुड़े किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि कोई तीसरा पक्ष सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करता है, कार्ड खाता या कार्ड पर शुल्क लगता है, तो कार्ड सदस्य इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा और अमेरिकन एक्सप्रेस को तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी देयता, दावों, मांगों, लागतों या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, इस तरह के दुरुपयोग/उपयोग के लिए और समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन मुआवजा दिया जाएगा।

7. संपर्क रहित भुगतान: एईबीसी द्वारा जारी किए गए कार्ड संपर्क रहित भुगतान को सक्षम बनाते हैं। बिना पिन डाले एकल लेनदेन के लिए संपर्क रहित मोड के माध्यम से भुगतान की अनुमति अधिकतम 5,000 रुपये है। रु. 5,000* से अधिक राशि के किसी भी लेन-देन को टैप + पिन या चिप + पिन द्वारा पिन का उपयोग करके प्रमाणित किया जाना चाहिए। हालाँकि, भुगतान के लिए संपर्क रहित मोड का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। पसंद के अनुसार, ग्राहकों के पास लेनदेन मूल्य के बावजूद चिप + पिन का उपयोग करके सभी कार्ड वर्तमान भुगतानों को संपर्क लेनदेन के रूप में करने का विकल्प होता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया Americanexpress.co.in/contactless देखें। मैं समझता हूँ कि मुझे जारी किया गया अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड संपर्क रहित भुगतान के लिए सक्षम होगा, और मैं इसकी प्रौद्योगिकी, इसके उपयोग और संपर्क रहित मोड के माध्यम से भुगतान करने से जुड़े जोखिमों को समझता हूँ। कृपया ध्यान रखें कि बिना पिन प्रमाणीकरण के 5,000 रुपये तक के संपर्क रहित लेनदेन का समर्थन करने के लिए हमारे कुछ मर्चेंट टर्मिनल अभी भी अपग्रेड प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। इस परिवर्तन काल के दौरान यदि आपको कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए हमें खेद है।

8. नकद अग्रिम/एक्सप्रेस नकद: आपकी कंपनी के लिखित अनुरोध पर आपको कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है (i) नकद अग्रिम और (ii) ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) से विदेशों में चयनित भागीदार बैंकों और अन्य स्थानों से निकासी जो हमारे द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित की जा सकती है। यदि आप कॉर्पोरेट कार्ड द्वारा एटीएम से नकद निकासी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक्सप्रेस कैश सुविधा में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको americanexpress.co.in/cs पर उपलब्ध एक नामांकन फॉर्म भरना और जमा करना होगा। हम अपने विवेकाधिकार पर आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं। यदि हम आपका आवेदन स्वीकार करते हैं, तो हम आपके कार्ड को नकद अग्रिम/एक्सप्रेस कैश के लिए सक्षम करेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके चिप कार्ड पिन का उपयोग किया जा सकता है।

जब तक आपके पास पिन नहीं होगा, आप कॉर्पोरेट कार्ड द्वारा एटीएम से नकद निकासी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको कॉर्पोरेट कार्ड नंबर और पिन को सुरक्षित रखना होगा और इसे किसी को नहीं बताना चाहिए। आप हमारे द्वारा निर्धारित सीमाओं और एक्सप्रेस नकद लेनदेन पर लागू नियमों और शर्तों के अधीन नकद अग्रिमों को एक्सेस कर सकते हैं। हम समय-समय पर नकद निकासी की सीमा में बदलाव कर सकते हैं। सभी नकद अग्रिम/एक्सप्रेस नकद लेनदेन पर लेनदेन शुल्क लागेगा और कुछ मामलों में हैंडलिंग शुल्क लागेगा। एक्सप्रेस नकद लेनदेन के लिए लागू हैंडलिंग शुल्क, लेनदेन शुल्क और अन्य नियम और शर्तों की सूचना आपको दी जाएगी।

9. **अस्वीकृत चेक, अस्वीकृत ऑटोपे निर्देश और बाहरी चेक:** यदि आप या आपका प्रतिनिधि किसी भी ऐसे चेक या ड्राफ्ट को प्रेषित या हमें भेजता है जो किसी भी कारण से उनकी पूरी राशि के लिए स्वीकृत नहीं होते हैं, तो प्रत्येक चेक या ड्राफ्ट के लिए हम अपने प्रशासन की लागतों को कवर करने के लिए कार्ड खाते पर शुल्क लगा सकते हैं।
10. **विलम्ब भुगतान शुल्क:** यदि हमें किसी भी मासिक विवरणी में दर्शाए गए शुल्कों का पूरा भुगतान मासिक विवरणी में उल्लिखित देय तिथि को या उससे पहले प्राप्त नहीं होता है, तो बकाया राशि पर 3.5% प्रति माह या 100/— रुपये (जो भी अधिक हो) का विलम्ब भुगतान शुल्क वसूल किया जाएगा जब तक कि पूरी वसूली नहीं हो जाती। हम ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जो हम अतिदेय राशियों की वसूली के लिए आवश्यक समझते हैं और अन्यथा हमारे हितों की रक्षा करते हैं। आप कानूनी प्रभार सहित हमारी उचित लागत और इस तरह की कार्रवाई के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेंगे।
11. **विदेशों में दिए गए शुल्क:** आप सहमत हैं और समझते हैं कि आपको जारी किया गया अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्ड, यदि विदेशी व्यापारियों के साथ उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित प्रासंगिक विनियम नियंत्रण विनियमों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा। आप इस बात से भी सहमत हैं कि यदि आप भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी विदेशी मुद्रा पात्रता से अधिक आगे जाते हैं, तो आप उसे तुरंत लिखित में हमारे संज्ञान में लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके अलावा, आप इस बात से भी सहमत हैं और समझते हैं कि यदि आपको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे किसी भी शुल्क के लिए अपना पासपोर्ट पृष्ठांकित करने की आवश्यकता है, तो पासपोर्ट पृष्ठांकित कराने का दायित्व पूरी तरह से आप पर होगा। और आपके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित विनियम नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, आप संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, और कॉर्पोरेट कार्ड सुविधा से या तो हमारे अनुरोध पर या आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित किये जायेंगे।

आपको जारी किया गया वैश्विक रूप से मान्य कॉर्पोरेट कार्ड नेपाल और भूटान में व्यापारी स्थानों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए मान्य नहीं है।

यदि आप भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में शुल्क देते हैं, तो वह शुल्क भारतीय रुपये में परिवर्तित हो जाएगा। रूपांतरण उस तारीख को होगा जब अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा शुल्क संसाधित किया जाता है, जो कि वह तारीख नहीं हो सकती है जिस दिन आपने अपना शुल्क लगाया था क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिकन एक्सप्रेस को शुल्क कब जमा किया गया था। यदि शुल्क अमेरिकी डॉलर में नहीं है, तो शुल्क राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करके और फिर अमेरिकी डॉलर की राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करके रूपांतरण अमेरिकी डॉलर के माध्यम से किया जाएगा।

यदि शुल्क अमेरिकी डॉलर में है, तो इसे सीधे भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जब तक लागू कानून के लिए एक विशिष्ट दर की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक आप समझते हैं और सहमत हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेजरी सिस्टम इंटरबैंक दरों के आधार पर रूपांतरण दरों का उपयोग करेगा, जो प्रसंस्करण तिथि से पहले व्यापार दिवस पर परंपरागत उद्योग स्रोतों से चुनता है, एक रूपांतरण आयोग द्वारा 3.5% बढ़ाया जाता है। यदि शुल्क हमें जमा करने से पहले तृतीय पक्षों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, तो उन तृतीय पक्षों द्वारा किए गए कोई भी रूपांतरण उनके द्वारा चुनी गई दरों पर होंगे।

- 12. कॉर्पोरेट कार्डों का उपयोग:** किसी अन्य व्यक्ति को शुल्कों, पहचान के लिए, या किसी अन्य कारण से आपको जारी किए गए कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि आपने किसी और को कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग करने दिया है या आपनी स्वेच्छा से कॉर्पोरेट कार्ड के भौतिक कब्जे को त्याग दिया है, तो यह आपको जारी किए गए कॉर्पोरेट कार्ड के साथ किए गए सभी शुल्कों के भुगतान के लिए आपकी देयता को प्रभावित नहीं करेगा। यदि कॉर्पोरेट कार्ड खो जाता है, या चोरी हो जाता है, या यदि आपको संदेह है कि आपकी अनुमति के बिना इसका उपयोग किया जा रहा है, तो आप हमें तुरंत सूचित करने के लिए सहमत हैं। बशर्ते कि कार्ड सदस्य ने नेकनीयती से काम किया हो, अगर अमेरिकन एक्सप्रेस को धोखाधड़ी के 3 कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, तो क्रेडिट कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग से उत्पन्न होने वाली अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रति उसकी देयता शून्य होगी। यदि धोखाधड़ी की रिपोर्ट 3 कार्य दिवसों के बाद की जाती है तो ग्राहक की अधिकतम देयता 1000 रुपये तक सीमित होगी।

आप कॉर्पोरेट कार्ड से प्राप्त किसी व्यापारिक टिकट या सेवाओं को नकद वापसी के लिए फिर से बेचने या वापस लेने के लिए सहमत हैं। यदि प्रतिष्ठान इस तरह की वापसी की अनुमति देता है तो आप कॉर्पोरेट कार्ड खाते में क्रेडिट के लिए किसी प्रतिष्ठान को कोई वस्तु या टिकट वापस कर सकते हैं।

हम किसी भी अनुरोध शुल्क के लिए प्राधिकरण को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

- 13. बिलिंग में त्रुटियां या पृष्ठछा/माल और सेवाओं से समस्याएं:** कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य और/या कंपनी कॉर्पोरेट कार्ड खाते के प्रत्येक मासिक विवरण की सत्यता की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार है। कॉर्पोरेट कार्ड खाते में लगाए गए शुल्कों के संबंध में जानकारी प्रदान करके हम आपकी सहायता करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। आप बयान की तारीख से 60 दिनों के भीतर बयान में किसी भी चूक या त्रुटि के बारे में हमें लिखित रूप में सूचित करने के लिए सहमत हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो किसी भी राशि को छोड़कर, जिसे खाते में अनुचित तरीके से जमा किया गया है, स्टेटमेंट को निर्णायक रूप से पूर्ण और सही माना जाएगा।

यदि कोई प्रतिष्ठान किसी शुल्क के संबंध में क्रेडिट स्लिप जारी करता है, तो हम उस क्रेडिट स्लिप पर दिखाई गई राशि को कार्ड खाते में क्रेडिट कर देंगे। हम किसी प्रतिष्ठान द्वारा आपको आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या सेवा में किसी भी दोष के लिए, या किसी प्रतिष्ठान द्वारा कॉर्पोरेट कार्ड को स्वीकृति देने या स्वीकार करने से इनकार करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई दावा आपको हमारे खिलाफ किसी सेट-ऑफ या काउंटर क्लेम का हकदार नहीं बनाएगा। इसके अलावा, हम किसी तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता के किसी भी कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसमें बीमा कंपनी शामिल है जो कार्डमैम्बर को कोई विशेषाधिकार या लाभ प्रदान करती है और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को सीधे आपूर्तिकर्ता के साथ सुलझाया जाना चाहिए।

14. **कॉर्पोरेट कार्ड का नवीनीकरण और प्रतिस्थापन:** कॉर्पोरेट कार्ड तब तक वैध रहेगा जब तक कार्ड के ऊपर उभरी हुई समाप्ति तिथि खत्म नहीं हो जाती। वर्तमान कॉर्पोरेट कार्ड की समय सीमा समाप्त होने से पहले आपको हमें नवीनीकरण या प्रतिस्थापन कार्ड जारी करने का अनुरोध करने की आवश्यकता है। हम कार्ड खाते के लिए वार्षिक रूप से नवीनीकरण शुल्क का भुगतान लेंगे। जब तक आप या कंपनी हमें बंद करने के लिए नहीं कहेंगे, हम कॉर्पोरेट कार्ड का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन जारी रखेंगे।
15. **कार्ड सदस्य की जानकारी और सहमती:** आप हमें और हमारे सहयोगियों को आपके बारे में कोई भी क्रेडिट जांच करने के लिए अधिकृत करते हैं, जिसे हम उचित समझते हैं। हम आपके क्रेडिट इतिहास की उपभोक्ता रिपोर्ट के लिए उपभोक्ता रिपोर्टिंग या संदर्भ योजनाएँ पूछ सकते हैं और आपके खाते से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा उपभोक्ता रिपोर्टिंग या संदर्भ योजनाओं, बैंकों या अन्य लेनदारों को प्रस्तुत की जा सकती है। हम आपके बारे में प्राप्त होने वाली किसी भी जानकारी का अपने सहयोगियों के साथ आदान-प्रदान कर सकते हैं, जिसमें कोई भी क्रेडिट या अन्य जानकारी शामिल है जो हम आपके आवेदन या उपभोक्ता रिपोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। हम क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी को क्रेडिट इतिहास/चुकोती रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने के नाते, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग निगम., भारत (एईबीसी)/ (बैंक) कानूनी रूप से बाध्य है (i) अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट कार्ड सदस्यों से संबंधित क्रेडिट जानकारी/वित्तीय जानकारी का खुलासा/रिपोर्ट/साझा/प्राप्त करना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी), क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (सीआईसी) और सूचना उपयोगिताओं (आईयू) के तहत स्थापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016. एईबीसी एतद्वारा कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट कार्ड सदस्यों को सूचित करता है कि बैंक खाते से संबंधित क्रेडिट सूचना/वित्तीय जानकारी (सकारात्मक और/या नकारात्मक) समय-समय पर उपरोक्त संस्थानों को क्रेडिट सूचना/वित्तीय जानकारी का प्रसार करने के लिए उपरोक्त कानूनों / विनियमों के तहत निर्धारित करेगा। उपरोक्त संस्थानों को प्रतिकूल रिपोर्टिंग कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट कार्ड सदस्यों के क्रेडिट स्कोर/क्रेडिट रेटिंग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है और उनकी मौजूदा वित्तीय सुविधाओं की सेवाओं और/या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सुविधाएँ हासिल करने की संभावना को प्रभावित कर सकती है; (ii) सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा) के तहत प्रदान की गई "व्यक्तिगत जानकारी" और/या "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" सहित क्रेडिट जानकारी/वित्तीय जानकारी और अन्य जानकारी का खुलासा/रिपोर्ट/साझा/प्राप्त करना या सूचना) नियम 2011 ("भारतीय गोपनीयता नियम"), आरबीआई, अन्य नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों, सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों/राज्य और केंद्र सरकार के उपकरणों जैसे वित्तीय खुफिया इकाई – भारत, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), पुलिस और अन्य विभागों/एजेंसियों और कानूनी दांचे के तहत और/या क्रम में स्थापित किसी भी अन्य संस्थान/प्राधिकरण के रूप में, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है के तहत एईबीसी/उनके दायित्वों के निर्वहन की सुविधा के लिए किसी भी लागू कानूनों/नियमों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रासंगिक कानून/नियम; (iii) सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरैक्ट ऑफ़ इंडिया (सीईआरएसएआई) को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दस्तावेजों सहित सूचना और अन्य जानकारी प्राप्त/अपलोड कर सकता है। इसके अलावा, मौजूदा नियमों और व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार, एईबीसी को "व्यक्तिगत जानकारी" और/या "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" सहित अन्य जानकारी का खुलासा/रिपोर्ट/साझा करने/प्रकट करने के लिए आवश्यक और बाध्य (आवश्यकता के आधार पर) जैसा ऊपर बताया गया है (ए) इसके आउटसोर्सिंग सेवा भागीदारों; (बी) इसका समूह/सहयोगी/संबद्ध/सहायक संस्थाएं या कंपनियाँ जिनमें एईबीसी ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट कार्डमैम्बर्स और/या बनाए

रखने के लिए विभिन्न ऑफर, लाभ, सुविधाएँ और अन्य सेवाएँ/उत्पाद प्रदान करने के लिए टाई-अप व्यवस्था की है, एईबीसी के कार्ड व्यवसाय से संबंधित कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट कार्ड सदस्यों/कार्ड संचालन/बैंक-एंड संचालन को सेवा प्रदान करना; (सी) इसकी मूल इकाई यानी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग निगम, न्यूयॉर्क (एईबीसी के रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, न्यूयॉर्क की एक शाखा के रूप में भारत में संचालित होती है); (डी) विपणन एजेंसियों और/या विपणन उद्देश्यों के लिए बशर्ते कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट कार्ड सदस्यों ने इस संबंध में एईबीसी को स्पष्ट रूप से अधिकृत/अनुमति दी हो; (ई) उद्योग से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से उद्योग संघों (पीआईआई को छोड़कर)। उपरोक्त सभी मामलों में (उपर्युक्त सीआईसी को रिपोर्ट करने के मामले को छोड़कर, बैंक कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट कार्ड सदस्यों को एक अग्रिम नोटिस प्रदान करेगा, जैसा कि मामला हो सकता है, जैसा कि मौजूदा दिशानिर्देशों/नियमों के तहत आवश्यक है), एईबीसी कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट को बिना किसी अतिरिक्त सूचना/सूचना के उपरोक्त वर्णित "व्यक्तिगत जानकारी" और/या "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" सहित अन्य जानकारी का खुलासा/रिपोर्ट/साझा/प्राप्त करेगा, कार्ड सदस्य और प्रकटीकरण/साझाकरण के अन्य सभी मामलों में एईबीसी को कॉर्पोरेट ग्राहकों और/या कॉर्पोरेट कार्ड-सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए सूचना प्रदाताओं की गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम 2011 ("भारतीय गोपनीयता नियम") का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे डेटा गोपनीयता सिद्धांत बताते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस और उसके कर्मचारी, भागीदार और विक्रेता अपने डेटा संरक्षण और गोपनीयता सिद्धांतों के अनुसार भारत में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र, उपयोग, स्टोर, साझा, ट्रांसमिट, डिलीट या अन्यथा प्रोसेस (सामूहिक रूप से "प्रक्रिया") करेंगे।

अमेरिकन एक्सप्रेस गोपनीयता नीति के विवरण के लिए और यह जानने के लिए कि हम जानकारी कैसे एकत्र, संसाधित और संग्रहीत करते हैं, कृपया यहाँ लॉग ऑन करें: –

<https://www.americanexpress.com/in/legal-disclosures/privacy-statement.html>

16. **कॉर्पोरेट कार्ड हमारी संपत्ति बना रहेगा:** कॉर्पोरेट कार्ड हमारी संपत्ति बना रहता है और हम किसी भी समय इसका उपयोग करने के आपके अधिकार को रद्द कर सकते हैं। हम आपको सूचना देकर या बिना सूचना दिए ऐसा कर सकते हैं। यदि हमने बिना किसी कारण के कॉर्पोरेट कार्ड को रद्द कर दिया है तो हम आपके वार्षिक कार्ड खाता शुल्क का एक अनुपात वापस कर देंगे। हम अपने षट्टीकरण बुलेटिन में कार्डों को सूचीबद्ध/रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अन्यथा प्रतिष्ठानों को सूचित कर सकते हैं कि आपको जारी किया गया कॉर्पोरेट कार्ड निरस्त या रद्द कर दिया गया है। अगर हम कॉर्पोरेट कार्ड को रद्द कर देते हैं या यह समाप्त हो जाता है, तो हमारे अनुरोध करने पर आपको इसे हमें वापस करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई प्रतिष्ठान आपसे समाप्त हो चुके या रद्द किए गए कॉर्पोरेट कार्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। कॉर्पोरेट कार्ड की समय सीमा समाप्त होने के बाद या इसे रद्द किए जाने के बाद आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्ड की वापसी के लिए निरस्तीकरण, कब्जा या अनुरोध न तो आपके चरित्र या क्रेडिट योग्यता या कंपनी के किसी भी प्रतिबिंब का गठन करेगा और हम अनुरोध करने वाले व्यक्ति द्वारा कॉर्पोरेट कार्ड की वापसी या समर्पण किए गए किसी भी बयान के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे। आप रोजगार या अप्रवासन के लिए विदेश जाने की स्थिति में आपको जारी किए गए कॉर्पोरेट कार्ड को सरेंडर करने के लिए सहमत हैं और वचन देते हैं, जब तक कि कार्ड के उपयोग को विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

एक बार कार्ड के रद्द या अवरुद्ध हो जाने पर (जिन मामलों में कार्ड उत्पाद को नए उत्पाद में माइग्रेट किया जा रहा है, लेकिन उन तक ही सीमित नहीं है), यह तत्काल प्रभाव से आगे के उपयोग के लिए मान्य नहीं होगा और आवर्ती लेनदेन सहित किसी भी लेनदेन/कार्ड पर स्थायी निर्देश को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कार्ड को यदि निरस्त किया गया हो या इसे ब्लॉक किया गया हो तो आपके पास जो कार्ड है उसके दो टुकड़े करके इसका उचित रूप से निपटान कर दें। इसके अलावा, आपने इस कार्ड पर जो भी स्थायी अनुदेश/आदेश दिए हैं उन्हें निरस्त करने के लिए समुचित कदम उठाएं।

17. **अनुमोदन:** आप एतद्वारा हमें अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करते हैं कि हम आपकी कंपनी या आपके बैंकर से आपके कॉर्पोरेट कार्ड पर किसी भी बकाया राशि के विरुद्ध आपकी संपत्ति/पैसे की कुर्की के लिए संपर्क करें और उन सभी कार्यों, क्रियाओं और चीजों को करें जो हम इसके सबंध में मान सकते हैं। यह खंड इस अनुबंध की समाप्ति तक रहेगा।
18. **ऋण की नियुक्ति:** हमें बिना किसी संदर्भ या सूचना के आपकी पसंद के किसी तीसरे पक्ष को आपके कार्ड की बकाया राशि और देय राशि को किसी भी तरीके से, पूरे या आंशिक रूप से स्थानांतरित करने, नियुक्त करने और बेचने का अधिकार होगा। ऐसी किसी भी बिक्री, नियुक्ति या हस्तांतरण के बावजूद, हम आपसे बकाया राशि की वसूली के लिए ऐसे किसी क्रेता, समनुदेशिनी, लेनदार के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत होंगे। आप ऐसी किसी भी नियुक्ति, बिक्री या हस्तांतरण और बकाया और देय राशि की वसूली के कारण सभी लागतों और खर्चों के लिए उत्तरदायी होंगे।
19. **सेट-ऑफ का अधिकार:** किसी भी कारण से इस अनुबंध में प्रदान किए गए अनुसार अपने कार्ड की बकाया राशि का निपटान करने में देरी करने या असमर्थ होने की स्थिति में, आप स्पष्ट रूप से और बिना शर्त के हमें किसी भी राशि के विरुद्ध इस तरह के बकाया को सेट-ऑफ करने और समायोजित करने के लिए अधिकृत करते हैं, जो हमारे द्वारा देय हो सकता है।
20. **नियमों का पालन:** आप और कंपनी संयुक्त रूप से और अलग-अलग सभी एक्सचेंज नियंत्रण और समय-समय पर लागू नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं जो कॉर्पोरेट कार्ड के उपयोग से आकर्षित हो सकते हैं और किसी भी नुकसान, दावे या व्यय के संबंध में हमें क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं, जो आपके द्वारा ऐसे किसी भी नियम का पालन न करने का परिणाम है।
21. **रेड-फ्लैग के रूप में वर्गीकृत कार्ड अकाउंट और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग**
आरबीआई की परिभाषा के अनुसार रेड फ्लैग अकाउंट है जिसमें धोखाधड़ी की गतिविधि का संदेह होता है, जिससे संभावित धोखाधड़ी के प्रति सचेत करने/प्रेरित करते हुए उसका पता लगाने के लिए बैंक द्वारा गहन जांच की जाती है। एईबीसी के पास रेड फ्लैग के रूप में वर्गीकृत अकाउंट्स की जांच और ऑडिट करने का अधिकार सुरक्षित होगा और इस संबंध में आपको कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। आप इस तरह के ऑडिट के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हैं। यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और आंतरिक जांच/मूल्यांकन या प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अनिर्णीत रहता है या आपके द्वारा असहयोग के कारण देरी होती है, तो एईबीसी अकाउंट की स्थिति को धोखाधड़ी के रूप में मान लेगा और आरबीआई को इसकी सूचना देगा।

- 22. दायित्व की सीमा:** लागू कानून के अधीन, आप सहमत हैं कि यदि हम आपके कॉर्पोरेट कार्ड खाते या कार्ड के आपके उपयोग के संबंध में हमारे किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहते हैं और प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, आपको नुकसान या लागत का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हम आपके लिए केवल हानि या लागत उत्तरदायी होंगे। विशेष रूप से हम किसी भी परिणामी हानि या किसी अन्य हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जो सीधे और स्वाभाविक रूप से विफलता के परिणामस्वरूप न हो, जिसमें विशेष परिस्थितियों से होने वाले नुकसान भी शामिल हैं। किसी भी स्थिति में, हम किसी भी तीसरे पक्ष के नुकसान या लागत के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जिसमें (उदाहरण के लिए) ऐसे तीसरे पक्ष को प्रभावित करने वाली यांत्रिक या सिस्टम विफलता से उत्पन्न नुकसान शामिल हैं।
- 23. वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग:** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक किसी भी सेवा प्रदाता को, चाहे वह भारत में स्थित हो या विदेश में, और चाहे वह बैंक के किसी भी सहयोगी या किसी तीसरे पक्ष को अपने विवेकाधिकार पर गतिविधियों (अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन, सर्विसिंग आदि सहित) को आउटसोर्स / नियुक्त कर सकता है। बैंक अपनी डेटा गोपनीयता नीति के अनुसार, बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की आउटसोर्स सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से ऐसे सेवा प्रदाताओं को कार्ड सदस्य के खाते का विवरण प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 24. इस अनुबंध को बदलना:** हमें आपको कम से कम 30 दिनों की पूर्व लिखित सूचना देकर किसी भी समय इस अनुबंध को बदलने का अधिकार है। हम मानते हैं कि यदि आप हमारी सूचना प्राप्त करने के बाद कॉर्पोरेट कार्ड रखते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो आपने परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है। यदि आप परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके पास जो कार्ड है उसके दो टुकड़े करके इसका उचित रूप से निपटान कर दें। फिर हम आपके वार्षिक कार्ड खाता शुल्क का एक अनुपात वापस कर देंगे। अनुबंध समाप्त करने से पहले के सभी शुल्कों और प्रभारों के लिए आप अब भी जिम्मेदार होंगे।
- 25. सूचनाएँ:** हमें आपके अंतिम ज्ञात पते पर प्रीपेड डाक द्वारा कोई भी सूचना भेजने का अधिकार होगा। हमारे द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस को पोस्टिंग की तारीख के पांच (5) दिनों के बाद आपके द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा।

आप और/या कंपनी को हमारे निम्नलिखित पते पर प्रीपेड पोस्ट द्वारा हमें कोई नोटिस भेजने या उसकी पुष्टि करनी चाहिए:

प्रबंधक

ग्राहक सेवाएं

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन

साइबरसिटी, टावर सी, डीएलएफ बिल्डिंग नंबर 8 सेक्टर-25, डीएलएफ सिटी, फेज-II

गुडगांव- 122 002 (हरियाणा)

26. **शासी कानून और मध्यस्थता:** इस अनुबंध को समझा जाएगा और कॉर्पोरेट कार्ड सुविधाओं के प्रावधान और उपयोग को भारत के कानूनों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। आप, कंपनी और एईबीसी, बिना शर्त दिल्ली राज्य में न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होने के लिए सहमत हैं। इस अनुबंध/अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य अनुबंध के संबंध में या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, अंतर और ध्या दावों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और किसी भी बाद के वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा, जिसकी नियुक्ति अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग निगम के उदाहरण और विवेक पर की जाएगी। इस तरह से नियुक्त मध्यस्थ को संदर्भित किसी भी मामले या विवाद या मतभेद या दावों को तय करने के लिए सक्षम माना जायेगा, जो इस खंड में प्रदान किए गए अनुसार मध्यस्थता के दायरे में आते हैं।
- दिया गया कोई भी मध्यस्थता निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का स्थान और सीट नई दिल्ली में होगी और संपूर्ण मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।
- यह खंड कॉर्पोरेट खाते/कार्ड सदस्य अनुबंध की समाप्ति के बाद भी बना रहेगा।